उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा–206130

Uttar Pradesh University of Medical Sciences, Saifai, Etawah-206130

(Formerly U.P. Rural Institute of Medical Sciences & Research, Saifai, Etawah)

Tel.: (05688) 276569, E.Mail- deanrimsnr@gmail.com

संख्याः **552**/यूपीयूएमएस/छात्रप्रकोष्ठ/2020–21 दिनांक **27** अक्टूबर, 2020

नोटिस

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के शासनादेश सं. 1650/71–4–2020–158/2017टी0सी0 दिनांक 22.10.2020 के माध्यम से प्राप्त आदेशों के अनुपालन में एम0बी0बी0एस0 प्रथम वर्ष के छात्र/छात्राओं का पठन–पाठन दिनांक 01 नवम्बर, 2020 से संस्थागत तौर पर प्रारम्भ किये जाने हेतु नोटिस संख्या **539**/यूपीयूएमएस/छात्रप्रकोष्ठ/2020–21 दिनांक **23** अक्टूबर, 2020 निर्गत किया जा चुका है। उक्त के क्रम में समस्त छात्र/छात्राओं को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वह विश्वविद्यालय आने पर निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें–

- छात्र/छात्राओं को अभिभावक की सहमति पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
- विश्वविद्यालय आने पर छात्र/छात्राओं से कोविड–19 की Negative रिपोर्ट प्राप्त की जायेगी। इस हेतु छात्र/छात्राएं अधिकतम 07 दिवस पूर्व की कोविड–19 जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं। कोविड–19 की Negative रिपोर्ट के बिना किसी भी छात्र/छात्रा को छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। अतः छात्र/छात्राएं विश्वविद्यालय आने पर कोविड–19 की जॉच रिपोर्ट साथ लेकर आयें।
- छात्र/छात्राओं द्वारा कोविड–19 की Negative रिपोर्ट छात्रावासों में तैनात सुरक्षाकर्मियों के पास जमा की जायेगी, जिसके पश्चात ही सुरक्षाकर्मियों द्वारा छात्र/छात्राओं को छात्रावास में प्रवेश दिया जायेगा।
- मोबाईल में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य है।
- कोविड–19 महामारी से बचाव हेतु परीक्षा कक्ष, हास्टल और एकेडमिक ब्लॉक में सोशल डिस्टेंसिंग एवं फेश मास्क का प्रयोग करना होगा।
- कोविड–19 से बचाव सम्बन्धी एडवाईजरी में उल्लिखित कोविड–19 से बचाव के निर्देशों का पालन करना होगा।

(डा0 आलोक कुमार)
संकायाध्यक्ष, चिकित्सा संकाय

प्रतिलिपि–

1. मुख्य छात्रावास अधीक्षक छात्र/छात्राओं के छात्रावासों में उपस्थित होने पर उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें तथा दिनांक 27.10.2020 को इस सम्बन्ध में आयोजित बैठक में लिए गये निर्णयों के अनुसार कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. प्रभारी, सी.ए.सी. (आई.टी.) को उक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।
3. वैयक्तिक सहायक को मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
4. निजी स्टाफ प्रति–कुलपति।
5. निजी स्टाफ कुलसचिव।

(डा0 आलोक कुमार)
संकायाध्यक्ष, चिकित्सा संकाय